संख्या– 196 /VI/2005–49पर्य0/2003 टी0सी

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,पर्यटन,
पटेल नगर,
देहरादून, उत्तरांचल ।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून 4 दिनांक मार्च 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 में मेले एवं त्यौहारों हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–268/प0अ0/2004–51(पर्य0)/2003 दिनांक 26 अप्रैल, 2004 तथा शासनादेश संख्या–902/VI/2004–49 पर्य0/2003,दिनांक 21 दिसम्बर,2004के कम में अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर,चमोली के पत्रांक–1197/10–20/शरदोत्सव 2005,, दिनांक 04फरवरी,2005,पूर्व अध्यक्ष,ब्लाक काग्रेस कमेटी,रिखणीखाल,पौड़ी के पत्रांक–शून्य, दिनांक शून्य, की छायाप्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्नलिखित मेलों हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि कुल रूपये 7.25 लाख (रूपये सात लाख पच्चीस हजार मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं0	मेले/त्योहारों का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	माघ मेला उत्तरकाशी	4.00
2	शरदोत्सव,चमोली, गोपेश्वर,	2.25
3	रिखणीखाल मेला,पौड़ी	1.00
	योग	7.25

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उपरोक्त धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या–268प0अ0/2004–51पर्य0/2003, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता हेतु स्वीकृत आयोजनागत पक्ष के मदों से व्यय किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

4– माघ मेला उत्तरकाशी,शरदोत्सव,चमोली, हेतु स्वीकृत की जा रही उपरोक्त धनराशि पूर्व में उक्त मेलो हेतु स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त अवशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा रही है अतएव इस विशेष अनुदान को भविष्य के लिये दृष्टान्त न माना जाय।

5– माघ मेला उत्तरकाशी हेतु स्वीकृत विशेष अनुदान इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि इस मेले हेतु इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का कम से कम तीस प्रतिशत राशि स्थायी

परिसम्पतियों के कय पर किया जायेगा। जिससे मेले को भविष्य में स्वनिर्भर बनाया जा सकें एवं शासन से तद्नुसार अनुदान को कम किया जा सकें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गत वित्तीय वर्ष में इस मेले हेतु स्वीकृत विशेष अनुदान के व्यय का मदवार व्यय विवरण/स्थायी परिसम्पतियों का विवरण/भौतिक प्रगति का विवरण एवं गतवर्ष मेले से हुई आय का विस्तृत विवरण भी शासन को मेले समाप्ति के पश्चात यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– सम्बन्धित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय/भौतिक का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध करायेगें।

7– उपरोक्त धनराशि विशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा रही है अतएव इसे भविष्य के लिये कदापि दृष्टान्त न माना जाय एवं नहीं इस आधार पर अनुदान की मांग की जायेगी।

8– यदि स्वीकृत धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो उस कार्य का आंगणन गठित कर एवं इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। धनराशि का उपयोग इस प्रकार किया जाय कि इससे उक्त मेलों हेतु स्थायी एसेट्स कय किया जा सकें जिससे मेलों को भविष्य में स्वनिर्भर बनाया जा सकें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव।

संख्या– VI/2005–49पर्य0/2003 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, पौड़ी/चमोली/उत्तरकाशी।
5– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन।
6– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी/चमोली/उत्तरकाशी।
8– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
9– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव।